न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 54/2020

घासीराम पुत्र झूथाराम उम्र 61 वर्ष पेशा खेती जाति जाट निवासी चक जोधपुरा ,तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. श्रीमती भागली देवी उम्र 73 वर्ष पत्नी हनुमानराम पेशा खेती जाति जाट निवासी नापाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2. श्रीमती चावली देवी उम्र 68 वर्ष पत्नी मालाराम पेशा खेती जाति जाट निवासी नापाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3. तहसीलदार उदयपुरवाटी जरिये लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांकित 22.9.2020 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
बमुकदमा उनवानी श्रीमती भागली देवी वगैरह बनाम घासीराम, प्रकरण संख्या 01/2020

उपस्थितिः–

1. श्री विजयपाल सिंह , एडवोकेट ––––– ––––––अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री संतोष कुमार दूबे,एडवोकेट–––––––रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट–––––––रेस्पोडेन्ट्स नं03 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 19.12.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी विरूद्ध आदेश दिनांकित 22.9.2020 बमुकदमा उनवानी श्रीमती भागली देवी वगैरह बनाम घासीराम, प्रकरण संख्या 01/2020 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं दर्ज किये गये हैं कि– ग्राम चक जोधपुरा के भूमि खसरा नंबर 70 रकबा 0.81 है,खसरा नंबर 71 रकबा 0.70 है., खसरा नंबर 53 रकबा 0.44 है, एवं खसरा नंबर 54 रकबा 0.57 है एवं खसरा नंबर 67 रकबा 0.28 है, भूमि झूथाराम पुत्र धन्नाराम अकेला खातेदार काश्तकार था एवं खसरा नं[illegible] रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नंबर 72 रकबा 0.17 है. में झूंथाराम पत्र धन्नाराम [illegible] झूथाराम की मृत्यु के बाद दिनांक 12.12.2004 को कैम्प में पटवारी [illegible] संख्या 146 दि[illegible].12.

Signature Not Verified
Digitally Signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

2004 दर्ज कर केवल घासीराम पुत्र झूथाराम के नाम स्वीकृत करवा लिया। उक्त नामांतरकरण संख्या 146 के विरूद्व रेस्पोडेंट चावली देवी एवं भागलीदेवी ने अपने आपको मृतक झूथाराम की पुत्रियां बताकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू/हाजा न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जहां बाद सुनवाई प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया गया कि मृतक झूथाराम के वारीसान की सुनवाई कर सही वारिसान की जांच कर विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः नामांतरकरण भरा जावे। जिस पर तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर मृतक झूथाराम के वारीसान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा मौका स्थिति की जांच एवं वारिसान की जांच हल्का पटवारी से प्राप्त की जाकर बाद सुनवाई तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा संख्या–01/2020 निर्णय दिनांक 22.09.2020 पारित किया गया है।

हस्तगत अपील में अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजियात अपीलांट की अकेले की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि प्रथमदृष्ट्या साबित है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर सही ढंग से माईण्ड अप्लाई नहीं किया व ना ही साक्ष्य को भली भांति समझा व ना ही प्रकरण के तथ्यों पर गौर किया और विधि विरूद्व निर्णय दिनांक 22.09.2022 के द्वारा रेस्पोडेंट नंबर 1व 2 भागली देवी व चावली देवी के प्रत्येक के हक में पटवारी हल्का को 1/3 , 1/3 हिस्से का नामांतरकरण मंजूर करने का आदेश पारित कर कानूनी भूल की है, जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने विस्तृत निर्णय पारित नहीं किया कि विवादित आराजियात पैत्रिक है या झूथाराम के द्वारा स्वयं अर्जित आराजियात है,...आदि। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का राजस्व प्रकरण संख्या 01/20 दिनांक 22.09.2020 मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजियात अपीलांट की अकेले की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि प्रथमदृष्ट्या साबित है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर सही ढंग से माईण्ड अप्लाई नहीं किया व ना ही साक्ष्य को भली भांति समझा व ना ही प्रकरण के तथ्यों पर गौर किया और विधि विरूद्व निर्णय दिनांक 22.09.2022 के द्वारा रेस्पोडेंट नंबर 1व 2 भागली देवी व चावली देवी के प्रत्येक के हक में पटवारी हल्का को 1/3 , 1/3 हिस्से का नामांतरकरण मंजूर करने का आदेश पारित कर कानूनी भूल की है, जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने विस्तृत निर्णय पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad
Court
Date: 2023.01.09 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested

नहीं किया कि विवादित आराजियात पैत्रिक है या झूथाराम के द्वारा स्वयं अर्जित आराजियात है,... आदि। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का राजस्व प्रकरण संख्या 01/20 दिनांक 22.09.2020 मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन है कि रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 व 2 मृतक झूथाराम की पुत्रियां है। अदालत हाजा द्वारा पूर्व में प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को रिमाण्ड किये जाने पर श्रीमान के निर्देशानुसार मृतक झूथाराम के वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। बयानात दर्ज किये गये है। अपीलांट घासीराम द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट को मृतक झुथाराम की पुत्रियां होना स्वीकार कर सभी के हिस्से में 1/3, 1/3 हिस्से के अनुसार नामांतरकरण दर्ज करने की लिखित सहमति प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाकर एवं राजस्व रिकार्ड एवं मृतक झूथाराम के वारिसान की सही जांच कर बाद दोनों पक्षों की सुनवाई के विस्तृत निर्णय दिनांक 22.09.2020 पारित किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्व अपील सुनवाई का अदालत हाजा को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा रिमाण्ड किये जाने मृतक झूथाराम के वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। बयानात दर्ज किये गये है, जिसमें अपीलांट घासीराम द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट को मृतक झुथाराम की पुत्रियां होना स्वीकार कर सभी के हिस्से में 1/3, 1/3 हिस्से के अनुसार नामांतरकरण दर्ज करने की लिखित सहमति प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा धारा 135/2 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड एवं मृतक झूथाराम के वारिसान की सही जांच कर बाद दोनों पक्षों की सुनवाई के विस्तृत निर्णय दिनांक 22.09.2020 पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा धारा 135/2 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्व जिला कलक्टर को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर को है। अतः अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज होने योग्य है। अतः खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अदालत हाजा द्वारा पूर्व में तहसीलदार उदयपुरवाटी को रिमाण्ड किये जाने पर अदालत हाजा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested

निर्देशानुसार मृतक झूथाराम के वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। बयानात दर्ज किये गये है। अपीलांट घासीराम द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट को मृतक झुथाराम की पुत्रियां होना स्वीकार कर सभी के हिस्से में 1/3, 1/3 हिस्से के अनुसार नामांतरकरण दर्ज करने की लिखित सहमति प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाकर एवं राजस्व रिकार्ड एवं मृतक झूथाराम के वारिसान की सही जांच कर बाद दोनों पक्षों की सुनवाई कर पृथक से विस्तृत निर्णय दिनांक 22.09.2020 पारित किया गया है। उक्त तमाम तथ्यों से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण धारा 135/2 एल.आर.एक्ट में सुना जाकर निर्णय दिनांक 22.09.2020 पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा धारा 135/2 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत पारित निर्णय/आदेश के विरूद्ध जिला कलक्टर को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज की जाती है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 19.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested